न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी:— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:— 73 / 2016 / अपील

गोपाल पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी ग्राम बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर
अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर
रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 15.09.2016 न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डेला मु.न. 15 / 2016 प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम गोपाल आदि

वकील अपीलांट श्री बनवारीलाल बरवड़

निर्णय दिनांक:—29.12.2017

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम बावड़ी तहसील खण्डेला के हल्का पटवारी ने दिनांक 24.06.2016 को तहसीलदार खण्डेला के समक्ष रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट ने ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 1196 रकबा 0.36 है0 किस्म गै.मु. सड़क एवं खसरा नम्बर 1197 रकबा 0.18 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ा पर जुताई करके कब्जा कर लिया है। अप्रार्थी को पूर्व से मौके पर से बेदखल किया जा चुका था, परन्तु उसके उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा पुनः जुताई करके अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने दिनांक 15.07.2016 को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 15.09.2016 को बिना किसी जांच व बिना साक्ष्य सबूत के चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कर अपीलांट को धारा 91(2) एल आर एक्ट के तहत तीन माह का साधारण कारावास एवं लगान का 50 गुणा शास्ती लगाने से दण्डित कर दिया। उक्त विवादित आराजियात की भूमि पर अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा अतिक्रमी नहीं है, बल्कि वह अपनी स्वयं की भूमि पर स्वामित्वधारी व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को अपना सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला ने पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट का अतिक्रमण मानकर तीन माह के साधारण कारावास की सजा का निर्णय पारित कर दिया परन्तु योग्य न्यायालय ने न तो मौके पर जाकर मौके की वास्तविक स्थिति की जांच की एवं ना ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय को अपास्त किया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का वाके ग्राम बावडी की भूमि खसरा नम्बर 1196, 1197 पर पूर्व किया गया अतिक्रमण मैंने हटा दिया है। तथा भविष्य में इस प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करूंगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपीलांट सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार अपीलांट वाके ग्राम बावड़ी की भूमि खसरा नम्बर 1196, 1197 के किसी भी भू—भाग पर अतिक्रमण नहीं करने के सम्बंध में प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

आदेश में सिविल कारावास की सजा यदि अपीलांट ने मौके पर से भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा लिया हो तो निरस्त की जाती है। तहसीलदार खण्डेला अतिक्रमण हटाने बाबत जांच कर लेवें तथा शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/12/17

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर